

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर

बड़वलाम पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आ.र.ए.स.)

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थी

1. तहसीलदार बाप

जुलमान निवासी अजरी

बाप जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र संख्या :- 58/2018

श्री राजेंद्रसिंह साँलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से  
अप्रार्थी संख्या 1 सरकार की धरोकार स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 13.03.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी  
की खातेदारी की मूँसि खसरा नंबर 124/2 रकबा 40.00 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 की मूँसि  
नंबर 124/3 रकबा 10.00 बीघा मूँसि सरहद मौजा मड़ला पटवार क्षेत्र नरे की मूँसि  
में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त मूँसि पर आज दिन तक कच्चा व काष्ठ लगातार  
बना आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की मूँसि पर रहवासीय ढाणिया, पानी के  
कुआँ के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है और उक्त रहवासीय ढाणियों में प्रार्थीगण  
सब अपने परिवार के साथ निवास करते है और बरसात के मौसम में काष्ठ कर  
प्रकार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त मूँसि का कच्ची मी  
किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। लेकिन फिर भी पटवारी हल्का ने  
किसी प्रकार से बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण की खातेदारी मूँसि की तरफ़ीम  
नियंत्रण के सिन कर दी है। जो सरासर गलत एवं विधि विरुद्ध है। इसलिये प्रार्थीगण  
के खसरा नंबर 124/2 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 124/3 रकबा 10.00  
खसरा नंबर 124/2 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 124/3 रकबा 10.00

का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया  
प्रकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल निम्नल किया  
प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि  
खसरा नंबर 124/2 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 124/3 रकबा 10.00

आर.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (जोधपुर)

~~(महोदय)~~

*[Handwritten Signature]*

न्याय आज दिनांक 13/03/2020 को न्यायालय में सुनाया गया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल कर, नंबर से कम हो, दायित्व दफतर हो।

### आदेश

नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।  
पूर्व में की गई तरसीम गलत है। अतः पर्याप्त सबूतों के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार  
तरसीम के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रेष नहीं किया गया है जिससे यह माना जा  
करना चाहता है प्रार्थीगण ने प्रार्थना के समर्थन में पर्याप्त सबूत प्रेष नहीं किये हैं पूर्व में  
40.00 बीघा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पूर्व में हुई तरसीम को  
बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 124/2 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 124/3  
2075, नक्शा रूस का अवलोकन किया गया। ग्राम मंडला पटवार क्षेत्र नुरे की मुर्त  
में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सवाल  
वक़लाय पेशकारान की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन एवं  
तरसीम की जानी उचित है।  
अप्रार्थी प्रेकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की प्रार्थीगण के कब्जा काबल  
करमावे।  
की नक्शा रूस में मौके की स्थिति से भिन्न की गई तरसीम को दुरुस्त किये जाने के

